

विश्वभारती
शांतिनिकेतन
कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि उपाचार्य महोदय ने प्रो. शांतनु रक्षित, अध्यक्ष, पल्ली संगठन विभाग (पीएसवी) को अपने सामान्य कार्य के साथ सीवीसी सतर्कता नियमावली पैरा 2.8.1 के संदर्भ में तीन माह या शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त संचार तक अतिरिक्त कार्य के रूप में विश्वविद्यालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

प्रो. मनोरंजन प्रधान एवं प्रो. शांतनु रक्षित से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से कार्यभार हस्तांतरित करें।

सं. संख्या स्था/ई-III/सतर्कता
दिनांक: 08.01.2025

हस्ता/-
कुलसचिव (कार्यकारी)
विश्वभारती

सेवा में,

1. प्रो. शांतनु रक्षित, प्रिंसिपल, पल्ली संगठन विभाग (पीएसवी)
2. प्रो. मनोरंजन प्रधान, प्रिंसिपल, भाषा भवन

सूचनार्थ हेतु प्रतिलिपि:

1. श्री संजय कुमार, अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, सतर्कता अनुभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. सभी निदेशक/सभी प्रिंसिपल
3. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक विभागों/केंद्रों/अनुभागों के प्रधान
4. वित्त अधिकारी
5. सभी संयुक्त कुलसचिव/जेएफओ/उप कुलसचिव/आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक कुलसचिव
6. सीएमओ/यूई
7. कुलपति के गोपनीय सचिव
8. कुलसचिव के निजी सहायक
9. सहायक कुलसचिव (बैठक) – ई.सी. के समक्ष संपुष्टि हेतु
10. विश्वविद्यालय वेब मास्टर- विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. हिंदी अधिकारी- हिंदी में अनुबाद कर वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
12. व्यक्तिगत फाइल

